न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 06/2014

कोडाराम पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलान्टान्

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़. जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री नरसाराम जाखड़ अधिवक्ता

2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 25.02.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक **28.05.2014** से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून प्राकृतिक न्याय एवं रूहेदाद मिसल होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है रौही मौजा सूड़सर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खसरा नम्बर 545/527 तादादी 4.16 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है जिस पर अपीलान्ट का टयूबवैल व ढाणी बनी हुई है। जहां अपीलान्ट बदस्तूर काश्त करता आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को खसरा नम्बर 545/527 तादादी 0.19 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता पर नाजायज चना काश्त बुवाई कर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण करने का दोषी माना है, जो कतई गलत है, क्योंकि अपीलान्ट ने गैर मुमकिन रास्ता पर कभी भी कोई काश्त नहीं की और ना ही किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया, महज गांव की पार्टी बाजी की वजह से अपीलान्ट को तंग व परेशान करने की नियत से सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत के समक्ष स्पष्ट तथ्य अंकित किये गये थे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

परन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों की और कतई गौर नहीं किया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए शास्ति कायम कर दी जो पूर्णतयाः गलत एवं गैर कानूनी है। अपीलान्ट ग्राम का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो कानून की सदैव इज्जत करता है तथा कानून के विपरीत ऐसा कोई कार्य नहीं करता है। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब में भी यही अंकित किया था कि उसके द्वारा अपने खातेदारी खेत में चल रहे रास्ते को कभी भी अवरूद्ध नहीं किया । महज ग्राम की पार्टी बाजी की वजह से सम्पूर्ण झूठी कार्यवाही अपीलान्ट के खिलाफ की गई है। अदालत मातहत ने न तो स्वयं मौका निरीक्षण किया और ना ही सच्चाई जानने की कोई कोशिश की है। फिर भी अदालत मातहत ने मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो गलत एवं गैर कानूनी होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2014 बदालत नायब तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का सूडसर द्वारा धारा 91 के तहत इस आश्य की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम सूडसर के खसरा नम्बर 545/527 तादादी 4.16 हैक्टयर गैर मुमकीन रास्ता भूमि में से 0.19 हैक्टयर **भूमि पर संवत 2070 में नाजायज चना काश्त बुवाई कर** अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गैर सायल को नोटिस भेजा गया। गैर सायल को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया। गैर सायल का जवाब है कि गैर सायल को अतिक्रमण का जो नोटिस दिया गया है वह राजनैतिक द्वेषता से होकर दिया गया है गैर सायल ने अपने खेत में राजस्व रिकार्ड में दर्ज शुदा रास्ता पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है व ना ही कोई फसल काश्त कर रखी है। नोटिस कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप फरमावें। गैर सायल द्वारा न्याय संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने व साक्ष्य साबूत आदि के अभाव में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं होने एवं गैर मुमकीन रास्ता भूमि पर नाजायज चना काश्त बुवाई करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अपीलान्ट गैर मुमकीन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर गैर सायल के विरूद्ध भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर मुमकीन रास्ता पर अवैध रूप से चना काश्त बुवाई कर कब्जा कर अतिक्रमण किया है, के विरूद्ध अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया जाकर लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित की गई है। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि गैर मुमकीन रास्ता दर्ज भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा मानते हुवे बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि विरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता। मामले के अद्योपरान्त अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि इस मामले में अपीलाण्ट द्वारा गैर मुमकीन रास्ता भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्ट गैर मुमकीन रास्ता भूमि पर काबिज नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत् होने के कारण हमें इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है ।

6. निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर (प्रशा.)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner